



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072026-274733
CG-DL-E-23072026-274733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3854]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948

No. 3854]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4024(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तराखण्ड राज्य के रुद्र प्रयाग जिले में NH7 के कि.मी. 368 से कि.मी. 384.4 (लमेरी से भैंडगांव तक) तक के भू-खण्ड के निर्माण (भू-स्खलन एवं भू-धसाव हेतु आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य के रुद्र प्रयाग जिले में NH7 के कि.मी. 368 से कि.मी. 384.4 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तराखंड			जिले का नाम: रुद्र प्रयाग		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रुद्रप्रयाग					
गांव का नाम: तिलणी					
1	1008	सरकारी	एँन्ज़डूए-9(3)-जी (गौचर)	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
2	154	सरकारी	एँन्ज़डूए-9(3)-डी (बंजर)	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
3	83	सरकारी	एँन्ज़डूए-(10)-4 (चट्टन)	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
4	988	सरकारी	एँन्ज़डूए-9(3)-डी (बंजर)	0.168 (हेक्टेयर)	0.168
5	992	सरकारी	एँन्ज़डूए-9(3)-डी (बंजर)	0.038 (हेक्टेयर)	0.038
गांव का नाम: कलना					
6	1313	सरकारी	एँन्ज़डूए-(10)-4 (चट्टन)	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
7	1314	सरकारी	ज़डूए-(6)-1 (जलमगन)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
8	1315	सरकारी	एँन्ज़डूए-(10)-4 (चट्टन)	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
9	1356	सरकारी	एँन्ज़डूए-(10)-1 (रोली)	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
10	1462	सरकारी	एँन्ज़डूए-(10)-4 (भीता)	0.286 (हेक्टेयर)	0.286
11	2067	सरकारी	एँन्ज़डूए-9(3)-जी (गौचर)	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
12	759	सरकारी	एँन्ज़डूए-(10)-4 (भीटा)	0.148 (हेक्टेयर)	0.148
गांव का नाम: शिवानन्दी					
13	161	सरकारी	एँन्ज़डूए-(10)-4 (भीटा)	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
Total					1.489

[फा. सं. NHIDCL/PMU Chamoli/NH-07/ALT/LA/2025-26/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

S.O. 4024(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Mitigation measures of Landslide/Sinking Zone etc.), maintenance, management and operation of NH7 in the stretch of land from Km. 368 to Km. 384.4 (Lameri to Bhaidgonw) in the district of RUDRA PRAYAG in the state of UTTARAKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, ADM, Rudraprayag in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH7 in the stretch of land from Km. 368 to Km. 384.4 (Lameri to Bhaidgonw) in the district of RUDRA PRAYAG in the state of UTTARAKHAND.

State: UTTARAKHAND			District: RUDRA PRAYAG		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Rudraprayag					
Village: Tilni					
1	1008	Government	NZA-9(3)-G (Gaucher)	0.22 (Hectare)	0.22
2	154	Government	NZA-9(3)-D (Banjar)	0.014 (Hectare)	0.014
3	83	Government	NZA-(10)-4 (Chattan)	0.032 (Hectare)	0.032
4	988	Government	NZA-9(3)-D (Banjar)	0.168 (Hectare)	0.168
5	992	Government	NZA-9(3)-D (Banjar)	0.038 (Hectare)	0.038
Village: Kalna					
6	1313	Government	NZA-(10)-4 (Chattan)	0.12 (Hectare)	0.12
7	1314	Government	ZA-(6)-1 (Jalmagan)	0.02 (Hectare)	0.02
8	1315	Government	NZA-(10)-4 (Chattan)	0.16 (Hectare)	0.16

9	1356	Government	NZA-(10)-1 (Roli)	0.055 (Hectare)	0.055
10	1462	Government	NZA-(10)-4 (Bhita,)	0.286 (Hectare)	0.286
11	2067	Government	NZA-9(3)-G (Gaucher)	0.18 (Hectare)	0.18
12	759	Government	NZA-(10)-4 (Bhita)	0.148 (Hectare)	0.148
Village: Shivanandi					
13	161	Government	NZA-(10)-4 (Bhita)	0.048 (Hectare)	0.048
Total					1.489

[F. No. NHIDCL/PMU Chamoli/NH-07/ALT/LA/2025-26/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director